संख्या–वीआईपी–02/69–1–15–14(134)/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एंव गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग। लखनऊ : दिनांक: 22 जनवरी, 2015

विषयः– **नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण/जिला नगरीय विकास अभिकरणों के माध्यम से संचालित योजनाओं हेतु भूमि का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश एवं जिला नगरीय विकास अभिकरणों के माध्यम से चयनित नगरों में निःशुल्क उपलब्ध भूमि पर "राजीव आवास योजना" एवं "आसरा आवास योजना" सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि जनपदों से उक्त योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में योजनाओं के कार्यान्वयन की गति अवरूद्ध हो रही है।

2. अतः कृपया नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की योजनाओं का समयबद्ध एवं सफलतापूर्वक संचालन के दृष्टिगत सम्बन्धित योजनाओं हेतु अपेक्षित भूमि का ससमय आवंटन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई विवाद हो, तो उसका व्यक्तिगत रूचि लेकर समाधान कराया जाय अथवा दूसरी जगह भूमि चिन्हित उसका आवंटन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या–वीआईपी–02(1)/69–1–14 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।